

प्रेम,

श्री लक्ष्मण्ड मिश्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

मेरा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा भवन-2 कानपुर केन्द्र,
प्रति विचार, नई दिल्ली ।

शिक्षा 371 अनुदान

महानगर दिनांक 27 मई, 2000

विषय:- केन्द्र केन्द्रित स्कूल बेलघरा रोड, बलिया को सी०बी०एन० नई दिल्ली के सम्बन्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह ज्ञान हुआ है कि केन्द्र केन्द्रित स्कूल बेलघरा रोड, बलिया को सी०बी०एन० नई दिल्ली के सम्बन्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अनापत्ति नहीं है:-

- 111 विद्यालय की परीक्षा लोताघटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 121 विद्यालय की पुस्तक समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 131 विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा तैयार किए गए विद्यार्थियों में विभिन्न स्तरों के लिये निर्धारित गुरुक से अधिक गुरुक नहीं लिया जायेगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से मिली अनुदान की शर्तें नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से अनापत्ति शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बन्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौशल कार डि इन्डियन स्कूल स्टॉफिन्गेट इन्फार्मेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उस केन्द्रीय परिषदों की सम्बन्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा पुस्तक मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा ।
- 151 संस्था की शिक्षक शर्तें शिक्षणोत्तर कार्यारिषों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कार्यारिषों को अनुसूचित शैक्षणिक तथा अन्य भवनों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगे ।

- 161 कर्मचारियों की सेवा शर्तों बनाई जायेंगी और उन्हें तटस्थता प्राप्त आंतरराष्ट्रीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुसूची सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 171 राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
- 181 विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित पुस्तक/पंजीकाओं में रखा जायेगा।
- 191 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के सुपरिन्टेंडन्ट के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन वा परिवर्धन नहीं किया जायेगा।

2- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की धूल या गिराविलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा पुस्तक अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

। सत्येन्द्र मिश्र ।
विशेष अधिकारी

सू०सं०-911111/15-7-2000, तदुद्दिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सुचनाओं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद।
- 3- बिना विद्यालय निरीक्षक, बलिया।
- 4- निरीक्षक, जॉन भारतीय विद्यालय, उज्जैन, लखनऊ।
- 5- प्रबन्धक, सेंट जेवियर्स स्कूल बेलथारा रोड, बलिया।

आशा है,

। सत्येन्द्र मिश्र ।
विशेष अधिकारी

Smip

Principal
St. Xavier's School
Belthara Road, Ballia (U.P.)

Rkm

Manager
St. Xavier's School
Belthara Road, Ballia (U.P.)